



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235626
CG-DL-E-07052022-235626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2019]
No. 2019]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

का. आ. 2124(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.18 (नया रारा-40 पर कि.मी 56/700) पर कि.मी. 56/800 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.120 के स्थान पर 2 लेन के आरओबी ओर इसके मार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब कलेक्टर/रेवेन्यू डिविजिनल ऑफिसर, मदनपल्ली, चित्तूर जिले को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.18 के आरओबी कि.मी 56/800 (पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.120) तक के भू-खण्ड के लिए के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: चित्तूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पिलेरू					
गांव का नाम: पिलेरू					
1	47/2A	निजी	ड्राई	101.1750000(वर्ग मीटर)	0.0101175
2	640	सरकारी	पोरंबोकु (रेलवे ए-क्लास)	1,202.0000000(वर्ग मीटर)	0.1202000
3	65 B	निजी(इनाम)	ड्राई	134.0000000(वर्ग मीटर)	0.0134000
4	66 A/1	निजी(इनाम)	ड्राई	80.9400000(वर्ग मीटर)	0.0080940
5	66A/2	निजी	ड्राई	142.0600000(वर्ग मीटर)	0.0142060
6	67	निजी	ड्राई	357.0000000(वर्ग मीटर)	0.0357000
7	86/2A	निजी(इनाम)	ड्राई	80.9400000(वर्ग मीटर)	0.0080940
8	87/1	निजी	ड्राई	490.0000000(वर्ग मीटर)	0.0490000
9	92A/1B	निजी(इनाम)	ड्राई	242.8200000(वर्ग मीटर)	0.0242820
10	92B/2B	निजी(इनाम)	ड्राई	202.3500000(वर्ग मीटर)	0.0202350
11	93/2	सरकारी	उनअस्सेस्सेड	2,185.3800000(वर्ग मीटर)	0.2185380
12	95/2	निजी	ड्राई	922.7160000(वर्ग मीटर)	0.0922716
कुल				6,141.3810	0.6141

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(18)LA/16-S&R(B)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

S.O. 2124(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.18 (Km.56/700 New NH 40) in the stretch of land for "Construction of 2 Lane ROB at Km.56/800 in lieu of Level Crossing No.120 of National Highways No.18 in CHITTOOR District in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the SUB-COLLECTOR / REVENUE DIVISIONAL OFFICER, MADANAPALLE, CHITTOOR DISTRICT in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land for ROB at Km.56/800 (in lieu of L.C.No.120) on National Highways No.18 in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH District: CHITTOOR					
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Pileru					
Village: Pileru					
1	47/2A	Private	Dry	101.1750000(Square Meter)	0.0101175
2	640	Government	Poramboku (Railway A-Class)	1,202.0000000(Square Meter)	0.1202000
3	65 B	Private(Inam)	Dry	134.0000000(Square Meter)	0.0134000
4	66 A/1	Private(Inam)	Dry	80.9400000(Square Meter)	0.0080940
5	66A/2	Private	Dry	142.0600000(Square Meter)	0.0142060
6	67	Private	Dry	357.0000000(Square Meter)	0.0357000
7	86/2A	Private(Inam)	Dry	80.9400000(Square Meter)	0.0080940
8	87/1	Private	Dry	490.0000000(Square Meter)	0.0490000
9	92A/1B	Private(Inam)	Dry	242.8200000(Square Meter)	0.0242820
10	92B/2B	Private(Inam)	Dry	202.3500000(Square Meter)	0.0202350

11	93/2	Government	Unassessed	2,185.3800000(Square Meter)	0.2185380
12	95/2	Private	Dry	922.7160000(Square Meter)	0.0922716
Total				6,141.3810	0.6141

[F. No. RW/NH-12014/AP(18)LA/16-S&R(B)/3A]

RAJESH GUPTA, Director